रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79] दिल्ली, शुक्रवार, जून 26, 2015/आषाढ़ 4, 1937 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 51
No. 79] DELHI, FRIDAY, JUNE 26, 2015/ASADHA 4, 1937 [N.C.T.D. No. 51

भाग—IV
PART—IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 26 जून, 2015

सं.फा. डीपीसीसी/ईआईए/एमआईएससी/09–खंड–III/3210-3253.–1. जबकि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार की दिनांक 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ) के अनुसरण में दिनांक 01 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना संख्या का. आ. 919(अ) के द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), दिल्ली का गठन किया है और उक्त प्राधिकरण की सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ परामर्श से राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), दिल्ली का गठन किया है;

2. और जबकि दिनांक 01 अप्रैल, 2015 की उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए गठित राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), दिल्ली तथा राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), दिल्ली के प्रभावी कार्य संपादन के लिए सचिवालय प्रकार्यों की देखरेख के लिए अभिकरण के रूप में अधिसूचित करता है; तथा

3. अब इसलिए दिनांक 01 अप्रैल, 2015 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 919 (अ) के पैरा 9 तथा 10 के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्द्वारा आईएसबीटी बिल्डिंग, 4 एवं 5वॉ तल, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110 006 पर स्थित दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी.पी.सी.सी.) को सचिवालय के रूप में कार्य करने वाले अधिकरण के रूप में अधिसूचित करती है और राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), दिल्ली तथा राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.) के सभी सांविधिक कृत्यों के संबंध में वित्तीय और संभारिक सहायता, जिसमें स्थान, परिवहन तथा अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी।

4. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी.पी.सी.सी.), राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), दिल्ली तथा राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), दिल्ली के अध्यक्ष एवं सदस्यों को बैठक शुल्क, यात्रा भत्ते और

महंगाई भत्ते का भुगतान करने की व्यवस्था करेगी। इस प्रयोजन के लिए, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति शीघ्र ही एक अलग आदेश जारी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
संजीव कुमार, सचिव (पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 26th June, 2015

No. DPCC/EIA/MISC/09-Vol-III/3210-3253.—1. Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of the section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, (29 of 1986) and in pursuance of the Government of India, Notification Number S.O.1533 (E) dated 14th Septemeber, 2006, the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India has constituted State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Delhi vide Notification Number S.O. 919 (E) dated 1st April, 2015 and to assist the said authority, the Central Government, in consultation with the Government of National Capital Territory of Delhi has constituted the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC), Delhi as well;

2. And Whereas in pursuance of the above referred Notification dated 1st April, 2015, the Government of National Capital Territory of Delhi is to notify the Agency to look after the Secretariat functions for the effective functioning of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Delhi and the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC), Delhi constituted for the National Capital Territory of Delhi under the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986); and

3. Now, Therefore, in pursuance of paras 9 and 10 of the said Notification No. S.O. 919 (E) dated 1st April, 2015, the Government of National Capital Territory of Delhi hereby notifies the Delhi Pollution Control Committee (DPCC), situated at ISBT Building, 4th & 5th floor, Kashmere Gate, Delhi-110006, as the Agency to act as Secretariat and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all statutory functions of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Delhi and the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC), Delhi.

4. The Delhi Pollution Control Committee (DPCC) shall arrange to pay sitting fee, traveling allowance and dearness allowance to the Chairmen and Members of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Delhi and the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC), Delhi. For this purpose, Delhi Pollution Control Committee will issue a separate order expeditiously.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of
National Capital Territory of Delhi,
SANJIV KUMAR, Secy. (Environment, Forests and Wildlife)

व्यापार एवं कर विभाग

(नीति शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 26 जून, 2015

सं.फा. 3(515)/नीति/वैट/2015/330–41.–मैं, संजीव खीरवार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की धारा 27 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वेब पोर्टल द्वारा इलैक्ट्रोनिक खरीददारी (प्रायः ई–कॉमर्स के नाम से प्रसिद्ध) की सुविधा उपलब्ध करवाने वाले व्यक्तियों को दिल्ली में स्थापित व्यापारी जो दिल्ली या दिल्ली के बाहर के ग्राहको को सामान आपूर्ति करते हैं, और दिल्ली के बाहर स्थापित व्यापारी जो दिल्ली के ग्राहकों कों सामान आपूर्ति करते हैं, उनका ब्यौरा उपलब्ध करवाने के लिये रिटर्न निर्धारित करता हूँ। ये कम्पनियां/फर्म/एल,एल.पी./निजी स्वामित्व आदि, जो व्यापारियों की सुविधा प्रदान करने का कार्य करती हैं और व्यापारियों के लेन–देन के निदेशानुसार ग्राहकों को सामान की आपूर्ति करते हैं, जो ऐसी आपूर्ति के लिए आदेश देते हैं या उन गोदामों से जो इस प्रकार के सहायक संस्थाएँ द्वारा प्रबंधित और संरक्षित है,जहॉ पर संबंधित व्यापारियों का सामान भण्डारण किया जाता है, उनसे ग्राहकों को प्रत्यक्ष रूप से सामान की आपूर्ति करते है। यह रिटर्न निम्नलिखित शर्तो के अध्याधीन है:–

1. ई–कॉमर्स के व्यापार में कार्यरत सभी व्यक्ति इस विभाग की वैब साइट (www.dvat.gov.in) पर उपलब्ध सूची के उपयुक्त लिंक पर क्लिक करके नामांकन कर सकते है। मूल सूचना फार्म ई.सी.1 में भरनी होगी। फार्म ई.सी.1 के सफलतापूर्वक जमा होने पर एक यूनीक आई.डी. जारी की जायेगी। इस आई.डी. से रिटर्न फाइल की जायेगी। साइट पर लॉगइन करने के लिये पासवर्ड ई–मेल द्वारा भेजा जायेगा।

2. फार्म ई.सी.2 और फार्म ई.सी.3 के अन्तर्गत रिटर्न तिमाही आधार पर भरी जायेगी जिसकी अन्तिम तिथि संबंधित तिमाही से अगले महीने का 20 वॉ दिन होगा। शुरूआत के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 की पहली तिमाही की रिटर्न देय तिथि तक दायर करनी होगी।

3. डिजिटल हस्ताक्षरित रिटर्न ऑफ लाइन/ऑन लाइन माध्यम द्वारा इस विभाग के उपर्युक्त पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।

4. शुध्द बिक्री कारोबार ज्ञात करने के लिये संबंधित तिमाही की कुल बिक्री में से वापसी हुई बिक्री को घटा देना चाहिए।

5. किसी तिमाही की बिक्री जो कि अगली तिमाही के दौरान वापिस आयी हो उस तिमाही की रिटर्न का संशोधन अगली तिमाही के अन्त तक किया जा सकता है।

6. उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा इस अधिसूचना की अवमानना को दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जायेगा और तदानुसार कार्यवाही की जायेगी।

7. ई–कॉमर्स के माध्यम से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सामान की आपूर्ति में लगे सभी व्यापारियों से संबंधित सूचना को छुपाने पर दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004/केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के प्रावधान का उल्लंघन माना जायेगा। ऐसे कारोबार को ई–कॉमर्स कम्पनी का कारोबार माना जायेगा।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
व्यापार एवं कर विभाग

फार्म ई.सी.1

ई–कॉमर्स में कार्यरत व्यक्तियों के नामांकन हेतु आवेदन पत्र

1. कम्पनी/फर्म आदि का नाम	
2. पैन	
3. पैन पर लिखा गया नाम	
4. दिल्ली में व्यापार का मुख्य स्थान	मकान का नाम/संख्या क्षेत्र/रोड़ इलाका/बाजार जिला राज्य पिन कोड

5. व्यापार का स्वरूप (एक से अधिक पर निशान लगाएं ☑ यदि लागू होता है)	❑ मालिक	❑ निजी कम्पनी	❑ सार्वजनिक क्षेत्र उपकम
	❑ भागीदार	❑ सरकारी कम्पनी	❑ सरकार निगम
	❑ एचयूएफ	❑ सार्वजनिक कम्पनी	❑ सरकारी विभाग
	❑ सोसाइटी	❑ क्लब	❑ ट्रस्ट
	❑ अन्य, कृप्या निर्दिष्ट करें:		

6. ई–मेल का पता	
7. फैक्स संख्या	
8. टेलीफोन/मोबाइल संख्या	1 2 3

9. बैंक एकाउंट की सूची	खाता संख्या	आई.एफ.सी.कोड	बैंक का नाम	बैंक का पता
	1			
	2			
	3			

10. अतिरिक्त व्यापार स्थान/ गोदाम आदि का ब्यौरा	

11. प्रबंधक का ब्यौरा (यदि मालिक/भागीदार निदेशक/प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहें हैं तो उनका नाम)

क) प्रबंधक का नाम		ख) जन्म तिथि	
ग) पिता/पति का नाम		घ) लिंग	
ड़) आधार/यूआईडी			
च) घर का पता			
छ) मोबाइल संख्या			
ज) पैन			

12. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम	
13. टिन, यदि दिल्ली वैट अधिनियम से प्राप्त है	

21. सत्यापन

मैं / हम.......................... इसके द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ / करते हैं कि उपरोक्त सूचना मेरी / हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है ।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर ....

पूरा नाम
(प्रथम नाम, मध्य नाम, उपनाम) ....

पदनाम / स्थिति ....

स्थान	

दिनांक			
	दिन	महीना	वर्ष

2847 55715-2

ई.सी.–II

दिल्ली तथा दिल्ली से बाहर के ग्राहकों को विक्रय करने वाले दिल्ली के व्यापारियों के संबंध में सूचना

यूनीक आई.डी.....

तिमाही.....से.....

व्यक्ति का नाम (कम्पनी आदि).....

क. सं.	ई–कॉमर्स कम्पनी द्वारा प्रदत्त व्यापारिक पहचान संख्या	पंजीकरण संख्या/ टिन / पैन, यदि अपंजीकृत है	व्यापारी का नाम	व्यापारी का पता, यदि अपंजीकृत है (व्यापार का मुख्य स्थान)	कुल बिकी (कर के अतिरिक्त) (रू.)		कर की दर	कर (रू.)		कुल (कुल बिकी + कर) (रू.)
					स्थानीय	अन्तर्राज्यीय		वैट	सी. एस. टी.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पद / स्थिति.....

दिनांक.....

ई.सी.–III

दिल्ली के ग्राहकों को दिल्ली से बाहर के व्यापारियों द्वारा विकय के संबंध में सूचना

यूनीक आई.डी.....

तिमाही.....से.....

व्यक्ति का नाम (कम्पनी आदि).....

क.सं.	ई–कॉमर्स कम्पनी द्वारा प्रदत्त व्यापारिक पहचान संख्या	पंजीकरण संख्या/ टिन / पैन, यदि अपंजीकृत है	व्यापारी का नाम	व्यापारी का पता, यदि अपंजीकृत है (व्यापार का मुख्य स्थान)	राज्य	कुल बिकी (करो के अतिरिक्त) (रू.)	कर (सी.एस.टी.) (रू.)	कुल (कुल बिकी + कर) (रू.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पद / स्थिति.....

दिनांक.....

संजीव खीरवार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

NOTIFICATION

Delhi, the 26th June, 2015

No.F.3(515)/Policy/VAT/2015/330-41.—In exercise of the powers conferred on me by section 27 of Delhi Value Added Tax Act, 2004, I, Sanjeev Khirwar, Commissioner, Value Added Tax, Government of NCT of Delhi, hereby prescribe a return to provide details of dealers located in Delhi, supplying goods either to customers of Delhi or outside Delhi and details of dealers located outside Delhi, supplying goods to customers of Delhi, for the persons engaged in providing facility of electronic shopping (commonly known as e-commerce) through their web-portals. The companies/firms/LLPs/ proprietorship concerns etc. may be acting as facilitators, directing the transaction to the dealer concerned for supplying the goods to the customer who has ordered for such supply or supplying the goods

directly to the customers from the godown maintained, managed and owned by such facilitating entities, where the goods of concerned dealer have already been stored. The said return is subject to following conditions:

1. All such persons engaged in the business of e-commerce shall have to enrol themselves by logging on to the web-site of the department (www.dvat.gov.in) at first by clicking on the relevant link in the Menu. Basic information has to be filed online in Form EC-I. A unique ID would be generated after successful submission. This ID should be used for filing the said return. Password for logging on to the site would be communicated on email provided by the person.
2. Return should be filed on quarterly basis in Form EC-II & EC-III by 10th day of the month following the quarter to which the return pertains. To begin with, return for the first quarter of current financial year 2015-16 may be filed by due date.
3. The return should be uploaded on the above said portal of the department in off-line / online mode by digitally signing the same.
4. Net sale turnover of a dealer, reducing there from the turnover of the sold goods returned which have been sold during the same quarter.
5. The return of a quarter can be revised by the end of next quarter for making corrections for the goods sold in that quarter but returned in subsequent quarter.
6. Non-compliance of the notification by the eligible persons referred above would be treated as violation of the provisions of Delhi Value Added Tax Act, 2004 and would be proceeded accordingly.
7. Suppression of information relating to any dealer engaged in supplying goods directly or indirectly through the portal of e-commerce entity would also be treated as violation of the provision of Delhi Value Added Tax Act, 2004 / Central Sales Tax Act, 1956. Such turnover would be deemed as sale made by the e-commerce entity.

2. The notification shall come into force with immediate effect.

DEPARTMENT OF TRADE & TAXES
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI

Form EC-I

Application for enrolment of persons engaged in e-commerce

1. Name of Company/Firm etc	
2. PAN	
3. Name as recorded on PAN	
4. Principal Place of Business in Delhi	Building Name/Number Area/ Road Locality/Market District State Pin Code

5. Constitu-tion of Business *(Check ☑ one as applicable)*	❑ Proprietorship	❑ Private Ltd. Company	❑ Public Sector Undertaking
	❑ Partnership	❑ Government Company	❑ Government Corporation
	❑ HUF	❑ Public Ltd. Company	❑ Government Department
	❑ Society	❑ Club	❑ Trust
	❑ Others, please specify		

6. Email address	
7. Fax No.	

8. Mobile No./Phone	1									
	2									
	3									

9. Details of Bank Accounts	Account No.	IFSC	Name of Bank	Address of Branch
	1.			
	2.			
	3.			

10. Details of Additional Places of Business/Godown etc.	

11. Details of Managers (if proprietor/partner/director are acting as manager, their names should be mentioned here.

a) Name of Manager		b). Date of Birth			
c). Father's/Husband's Name		d) Gender			
e). Aadhaar/UID					
f). Residential Address					
g). Mobile					
h). PAN					

12. Name of the Authorised Signatory	
13. TIN, if obtained under Delhi VAT Act	

14. Verification

I/We _____ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of Authorised Signatory _____

Full Name *(first name, middle, surname)* _____

Designation/Status _____

Place																					

Date							
	Day		Month		Year		

2847 50/15-3

EC-II

Information in respect of Delhi Dealers making Sales to Delhi Consumers as well as to outside Delhi consumers

Unique ID_____

Quarter _____ **to** _____

Name of Person (Company etc._____**)**

S.No.	Merchant ID allocated by e-commerce company	Registration No./TIN/ PAN, if unregistered	Name of dealer	Address of dealer, if unregistered (Principal Place of business)	Sale Turnover (excluding tax) (Rs.)		Rate of Tax	Tax (Rs.)		Total (Turnover + Tax) (Rs.)
					Local	Inter-state		VAT	CST	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Signature_____

Name_____

Designation/Status_____

Date_____

EC-III

Information in respect of Outside Delhi Dealers making Sales to Delhi Consumers

Unique ID_____

Quarter _____ **to** _____

Name of Person (Company etc._____**)**

S.No.	Merchant ID allocated by e-commerce company	Registration No./TIN	Name of dealer	Address of dealer (Principal Place of business)	State	Sale Turnover (excluding tax) (Rs.)	Tax (CST) (Rs.)	Total (Turnover + Tax) (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Signature_____

Name_____

Designation/Status_____

Date_____

SANJEEV KHIRWAR, Commissioner, Value Added Tax

शहरी विकास विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 26 जून, 2015

फा.सं.16(496)/यूडी/डब्ल्यू/2015/436–442.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 की धारा 73 के साथ पठित उक्त विनियम के पैरा 4.2.4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 24.3.2008 के दिल्ली विकास प्राधिकरण के का. आ. सं. 683 (अ) द्वारा अधिसूचित दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितिकरण के विनियम के पैरा 6.4 के अनुपालन में, सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों से सीवर विकास प्रभार की लेवी/वसूली के संबंध में दिल्ली जल बोर्ड के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है बशर्ते अधिसूचना की तिथि से तीन माह की अवधि के लिए निम्न घटे

हुए प्रभार लागू होंगे।

(क) क, ख एवं ग के अंतर्गत आने वाली अनधिकृत कॉलोनियों से लागू अधिसूचित दर से दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवर विकास प्रभार वसूले जाएंगे।

(ख) अनधिकृत कॉलोनियों की श्रेणी डी,ई,एफ,जी एवं एच में आने वाली संपत्तियों के मामले में घरेलू तथा केवल मिक्स यूज संवर्ग के अंतर्गत प्लाट के लिए 200 वर्ग मीटर सहित तथा प्लाट एरिया के साथ आवासीय उद्देश्य के लिए 100/–रुपये प्रति वर्ग मीटर की सामान्य दर से सीवर विकास प्रभार वसूला जाएगा। अतः वाणिज्य/संस्थागत मामलों के सभी प्लाटों तथा घरेलू एवं मिक्सड यूज संवर्ग में 200 वर्ग मीटर से बड़े प्लाटों के लिए यह दर लागू नहीं होगी, जबकि लागू अधिसूचित दर नियमित रूप से वसूली जाएगी।

(ग) जहां सीवरेज प्रणाली स्थापित की जा चुकी है और दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अधिसूचित है, इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से उपरोक्त पैरा–ख में प्रस्तावित सीवर विकास प्रभार लागू होंगे और शेष अनधिकृत कॉलोनियों के लिए यह दर नई कॉलोनियों के अधिसूचित होने की तिथि से लागू होगी।

(घ) पहले से ही अधिसूचित अनधिकृत कॉलोनियों के मामले में 100/–रुपये की सामान्य प्रस्तावित दर इस योजना की अधिसूचना की तिथि से तीन माह के अंदर इन कॉलोनियों के योग्य प्लाट होल्डरों द्वारा जमा कराए जाने अपेक्षित हैं। इसी प्रकार, बाद की तिथि को अधिसूचित अनधिकृत कॉलोनियों के मामले में यह लाभ विस्तारित/लागू होगा और ऐसी कॉलोनी के योग्य प्लाट धारकों को उनकी कॉलोनी की अधिसूचना की तिथि से तीन माह की अवधि के अंदर सीवर विकास प्रभार का भुगतान अपेक्षित है। यदि देय का भुगतान तीन माह की अवधि के अंदर नहीं किया जाता है तो दोनों मामलों में प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज वसूला जाएगा ताकि जनता को समयबद्ध तरीके से कनेक्शन लेने हेतु प्रेरित किया जा सके। यदि पात्र प्लाट होल्डर सीवर कनेक्शन के अनुदान के लिए इस अधिसूचना या उनकी कॉलोनी की अधिसूचना के तीन माह की अवधि के अंदर इन घटी हुई सीवर विकास प्रभार को भुगतान करने में असफल रहता है– इनमें से जो बाद में हो, घटी दर लागू नहीं होगी और उपरोक्त पैरा के अनुसार कॉलोनियों के लिए लागू वार्षिक अधिसूचित दर के साथ ब्याज का भी भुगतान करना होगा।

(ङ) इन दरों की प्रयोज्यता के पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं होंगे और पुराने मामलों में जहां भुगतान किया जा चुका है, को पुनः खोला नहीं जाएगा। तथापि, यदि किसी मामले में कोई योग्य प्लाट धारक ने वर्तमान नीति के अनुसार घटी हुई दर पर आंशिक भुगतान किया है और यदि इस प्रकार भुगतान की गई राशि मूल के प्रति 100/–रुपये प्रति वर्ग मीटर से कम है, तो उसे उपरोक्त प्रस्तावित नीति के अनुसार देय का अंतर जमा करवाना अपेक्षित है। आंशिक भुगतान के मामलों के लिए जहां पात्र निवासियों ने प्लाट की इस योजना के कार्यान्वयन के समय 100/–रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्यादा या समतुल्य राशि पहले ही जमा कर दी है तो और भुगतान अपेक्षित नहीं है। और न ही वह रिफंड के पात्र होंगे, यदि अतिरिक्त राशि का पहले ही भुगतान कर दिया गया हो।

(च) इन अनधिकृत कॉलोनियों में कार्य निष्पादन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सहायता अनुदान जारी रखेगी। सहायता अनुदान की अनुपस्थिति में घटी हुई दरें लागू नहीं होंगी और दिल्ली जल बोर्ड वास्तविक लागत प्रति वर्ग मीटर वसूलेगा, यदि सीवर इन्फ्रास्ट्रक्चर स्वयं के स्रोतों से लगाया गया है या दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऋण के आधार पर लगाया गया हो।

(छ) आगे इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित किया गया है कि इन कॉलोनियों के निवासी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और निवासी के मामले में अधिसूचना की तिथि से निर्धारित तीन माह की अवधि के अंदर यह योजना लेने में असफल रहता है तो उनका पानी/सीवर कनेक्शन काट दिया जाएगा और उपरोक्त पैरा–घ में प्रस्तावित के अतिरिक्त दिल्ली, पानी एवं सीवर (टेरिफ एवं मीटरिंग) के विनियम, 2012 के विनियम 4, 34 तथा 36 के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 26th June 2015

No.F.16(496)/UD/W/15/436-442.—In pursuance of para 6.4 of the Regulations for the Regularization of Unauthorized Colonies in Delhi notified by DDA vide S.O. No. 683(E) dated 24.03.2008 in the Gazette of India Extraordinary and in exercise of powers conferred by para 4.2.4 of the said Regulations read with section 73 of the Delhi Water Board Act 1998, the Government of National Territory of Delhi has approved the proposal of Delhi Jal Board regarding Levy/Recovery of Sewer Development charges to be recovered from the residents of unauthorized colonies as under subject to condition that the following reduced charges would be applicable for a period of three months w.e.f. the date of publication of this notification.

A. The Sewer Development Charges would be recovered by Delhi Jal Board as per the applicable notified rates from the Unauthorized Colonies falling under the category A, B and C.

B. Sewer Development Charges would be recovered on a flat rate of Rs. 100/- per Sq.mtr. in the case of properties falling in D,E,F,G and H Category of Unauthorized Colonies, being used for residential purposes with a plot area upto and including 200 Sq. Mtrs. for plots under domestic and mixed use category only. Therefore, this rate shall not be applicable in respect of all plots for commercial/ institutional cases and for plots bigger than 200 Sq. Mtrs. in domestic and mixed use categories, where the applicable notified rates will continue to be charged.

C. Where the sewerage system has already been laid and notified by the Delhi Jal Board, Sewer Development Charges proposed in para-B above would be applicable from the date of issue of this notification and for remaining Unauthorized Colonies this rate would be applicable from the date on which new colonies are notified.

D. In case of Unauthorized Colonies already notified, the proposed flat rate of Rs. 100/- shall be required to be deposited by the eligible plot holders of these colonies within three months from the date of notification of this scheme. Similarly, the same benefit will be extended / applicable in the case of Unauthorized Colonies notified at a later date and the eligible plot holders of such Colony would be required to pay the Sewer Development Charges within three months from the date of notification of their Colony. In both the cases simple interest @ 10% per annum would be levied, if dues are not paid within three months. To encourage people to take connections in a time bound manner, if eligible plot holders fail to pay these relaxed sewer development charges within a period of three months of this notification or the notification of their colony for grant of sewer connections – whichever is later, the relaxed rate would not be applicable and they will have to pay the annual notified rate as applicable before such reduced rates as in Para A above with interest as applicable..

E. Applicability of these rates shall not have retrospective effect and old cases, wherever the payments have been made, would not be reopened. However, in case any eligible plot holder for relaxed rate has made a part payment as per the existing policy, and if the amount so paid is less than Rs. 100/- per Sq.Mtr. towards principal, he will be required to deposit the difference due as per the above proposed policy. For cases of part payment where the eligible resident (s) has already deposited an amount equal to and more than @ Rs. 100/- per Sq.mtr. at the time of implementation of this Scheme for the plot, no further payment would be required nor will he / she be eligible for any refund, if additional amount has already been paid.

F. Government of National Capital Territory of Delhi will continue to give grant-in- aid for execution of works in these Unauthorized Colonies. In the absence of the Grant-in-Aid, relaxed rates won't be applicable and Delhi Jal Board will charge the actual cost per sq. meter if the sewer infrastructure is laid from its own resources or on the basis of loan as per provisions of the Delhi Water Board Act, 1998.

G. Further, these rates are being proposed, keeping in view the fact that the residents of these colonies are economically backward and in case of the residents who fail to avail this scheme within stipulated three months from the date of notification, their water / sewer connections would be disconnected forthwith and action would be taken as per Regulations 4, 34 and 36 of Delhi Water and Sewer (Tariff and Metering) Regulation,2012 in addition to proposal in para D above.

फा.सं.16(498)/यूडी/डब्ल्यू/2015/443–449 .– दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 की धारा 73 के साथ पठित उक्त विनियम के पैरा 4.2.4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 24.3.2008 के दिल्ली विकास प्राधिकरण के एस ओ सं0 683 (ई) द्वारा अधिसूचित दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितिकरण के विनियम के पैरा 6.4 के अनुपालन में, सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों से जल विकास प्रभार की लेवी/वसूली के संबंध में दिल्ली जल बोर्ड के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है बशर्ते अधिसूचना की तिथि से तीन माह की अवधि के लिए निम्न घटे

2847 GI/15-4

हुए प्रभार लागू होंगे।

(क) क, ख एवं ग के अंतर्गत आने वाली अनधिकृत कॉलोनियों से लागू अधिसूचित दर से दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जल विकास प्रभार वसूले जाएंगे।

(ख) अनधिकृत कॉलोनियों की श्रेणी डी,ई,एफ,जी एवं एच में आने वाली संपत्तियों के मामले में घरेलू तथा केवल मिक्स यूज संवर्ग के अंतर्गत प्लाट के लिए 200 वर्ग मीटर सहित तथा प्लाट एरिया के साथ आवासीय उद्देश्य के लिए 100/–रुपये प्रति वर्ग मीटर की सामान्य दर से जल विकास प्रभार वसूला जाएगा। अतः वाणिज्य/संस्थागत मामलों के सभी प्लाटों तथा घरेलू एवं मिक्सड यूज संवर्ग में 200 वर्ग मीटर से बड़े प्लाटों के लिए यह दर लागू नहीं होगी, जबकि लागू अधिसूचित दर नियमित रूप से वसूली जाएगी।

(ग) जहां जल प्रणाली स्थापित की जा चुकी है और दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अधिसूचित है, इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से उपरोक्त पैरा–ख में प्रस्तावित जल विकास प्रभार लागू होंगे और शेष अनधिकृत कॉलोनियों के लिए यह दर नई कॉलोनियों के अधिसूचित होने की तिथि से लागू होगी।

(घ) पहले से ही अधिसूचित अनधिकृत कॉलोनियों के मामले में 100/–रुपये की सामान्य प्रस्तावित दर इस योजना की अधिसूचना की तिथि से तीन माह के अंदर इन कॉलोनियों के योग्य प्लाट होल्डरों द्वारा जमा कराए जाने अपेक्षित हैं। इसी प्रकार, बाद की तिथि को अधिसूचित अनधिकृत कॉलोनियों के मामले में यह लाभ विस्तारित/लागू होगा और ऐसी कॉलोनी के योग्य प्लाट धारकों को उनकी कॉलोनी की अधिसूचना की तिथि से तीन माह की अवधि के अंदर जल विकास प्रभार का भुगतान अपेक्षित है। यदि देय का भुगतान तीन माह की अवधि के अंदर नहीं किया जाता है तो दोनों मामलों में प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज वसूला जाएगा ताकि जनता को समयबद्ध तरीके से कनेक्शन लेने हेतु प्रेरित किया जा सके। यदि पात्र प्लाट होल्डर जल कनेक्शन के अनुदान के लिए इस अधिसूचना या उनकी कॉलोनी की अधिसूचना के तीन माह की अवधि के अंदर इन घटी हुई जल विकास प्रभार कौ भुगतान करने में असफल रहता है– इनमें से जो बाद में हो, घटी दर लागू नहीं होगी और उपरोक्त पैरा के अनुसार कॉलोनियों के लिए लागू वार्षिक अधिसूचित दर के साथ ब्याज का भी भुगतान करना होगा।

(ङ) इन दरों की प्रयोज्यता के पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं होंगे और पुराने मामलों में जहां भुगतान किया जा चुका है, को पुनः खोला नहीं जाएगा। तथापि, यदि किसी मामले में कोई योग्य प्लाट धारक ने वर्तमान नीति के अनुसार घटी हुई दर पर आंशिक भुगतान किया है और यदि इस प्रकार भुगतान की गई राशि मूल के प्रति 100/–रुपये प्रति वर्ग मीटर से कम है, तो उसे उपरोक्त प्रस्तावित नीति के अनुसार देय का अंतर जमा करवाना अपेक्षित है। आंशिक भुगतान के मामलों के लिए जहां पात्र निवासियों ने प्लाट की इस योजना के कार्यान्वयन के समय 100/–रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्यादा या समतुल्य राशि पहले ही जमा कर दी है तो और भुगतान अपेक्षित नहीं है। और न ही वह रिफंड के पात्र होंगे, यदि अतिरिक्त राशि का पहले ही भुगतान कर दिया गया हो।

(च) इन अनधिकृत कॉलोनियों में कार्य निष्पादन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सहायता अनुदान जारी रखेगी। सहायता अनुदान की अनुपस्थिति में घटी हुई दरें लागू नहीं होंगी और दिल्ली जल बोर्ड वास्तविक लागत प्रति वर्ग मीटर वसूलेगा, यदि जल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्वयं के स्रोतों से लगाया गया है या दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऋण के आधार पर लगाया गया हो।

(छ) आगे इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित किया गया है कि इन कॉलोनियों के निवासी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और निवासी के मामले में अधिसूचना की तिथि से निर्धारित तीन माह की अवधि के अंदर यह योजना लेने में असफल रहता है तो उनका पानी/सीवर कनेक्शन काट दिया जाएगा और उपरोक्त पैरा–घ में प्रस्तावित के अतिरिक्त दिल्ली, पानी एवं सीवर (टेरिफ एवं मीटरिंग) के विनियम, 2012 के विनियम 3, 34 तथा 35 के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

प्रकाश चंद्रा, संयुक्त–सचिव (एमबी)

No.F.16(498)/UD/W/15/443-449.—In pursuance of para 6.4 of the Regulations for the Regularization of Unauthorized Colonies in Delhi notified by DDA vide S.O. No. 683(E) dated 24.03.2008 in the Gazette of India Extraordinary and in exercise of the powers conferred by para 4.2.4 of the said Regulations read with section 73 of Delhi Water Board Act, 1998, the Government of National Capital Territory of Delhi has approved the proposal of Delhi Jal Board regarding Levy/Recovery of water Development charges to be recovered from the residents of unauthorized colonies as under subject to condition that the following reduced charges would be applicable for a period of three months w.e.f. the date of publication of this notification.

A. The Water Development Charges would be recovered by Delhi Jal Board as per the applicable notified rates from the Unauthorized Colonies falling under the category A, B and C.

B. Water Development Charges would be recovered on a flat rate of Rs. 100/- per Sq.mtr. in the case of properties falling in D,E,F,G and H Category of Unauthorized Colonies, being used for residential purposes with a plot area upto and including 200 Sq.Mtrs. for plots under domestic and mixed use category only. Therefore, this rate shall not be applicable in respect of all plots for commercial / institutional cases and for plots bigger than 200 Sq. Mtrs. in domestic and mixed use categories, where the applicable notified rates will continue to be charged.

C. Where the water system has already been laid and notified by the Delhi Jal Board, Water Development Charges proposed in para-B above would be applicable from the date of issue of this notification and for remaining Unauthorized Colonies this rate would be applicable from the date on which new colonies are notified.

D. In case of Unauthorized Colonies already notified the proposed flat rate of Rs. 100 shall be required to be deposited by the eligible plot holders of these colonies within three months from the date of notification of this scheme. Similarly, the same benefit will be extended/applicable in the case of Unauthorized Colonies notified at a later date and the eligible plot holders of such Colony would be required to pay the Water Development Charges within three months from the date of notification of their Colony. In both the cases simple interest @ 10% per annum would be levied, if dues are not paid within three months. To encourage people to take connections in a time bound manner, if eligible plot holders fail to pay these relaxed water development charges within three months of this notification or the notification of their colony for grant of water connections – whichever is later, the relaxed rate would not be applicable and they will have to pay the annual notified rate as applicable for before such reduced rates as in para A above with interest as applicable.

E. Applicability of these rates shall not have retrospective effect and old cases, wherever the payments have been made, would not be reopened. However, in case any eligible plot holder for relaxed rate has made a part payment as per the existing policy, and if the amount so paid is less than Rs. 100 per Sq.Mtr. towards principal, he will be required to deposit the difference due as per the above proposed policy. For cases of part payment where the eligible resident (s) has already deposited an amount equal to and more than @ Rs. 100/- per Sq.mtr. at the time of implementation of this Scheme for the plot, no further payment would be required nor will he/she be eligible for any refund, if additional amount has already been paid.

F. Government of National Capital Territory of Delhi will continue to give grant-in- aid for execution of works in these Unauthorized Colonies. In the absence of the Grant-in-Aid, relaxed rates won't be applicable and Delhi Jal Board will charge the actual cost per sq. meter if the sewer/water infrastructure is laid from its own resources or on the basis of loan as per provisions of the Delhi Water Board Act, 1998.

G. Further, these rates are being proposed, keeping in view the fact that the residents of these colonies are economically backward and in case of the residents who fail to avail this scheme within three months from the date of notification, their water / sewer connections would be disconnected forthwith and action would be taken as per Regulations 3, 34 and 35 of Delhi Water and Sewer (Tariff and Metering) Regulation, 2012 in addition to proposal in para D above.

By Order and in the Name of the
Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

PRAKASH CHANDRA, Jt, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.